

कठपुतल परिपत्र सं०-2122051 दि० 28-12-2021

पत्र संख्या-वाद/परिपत्र/पत्रा-1/रिवीजन /2021-22/

1217 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर,वाणिज्य कर,

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 24 दिसम्बर, 2021

1-समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

2-एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य),
प्रयागराज/लखनऊ।

3-ज्वाइन्ट कमिशनर (सर्वो0न्या0कार्य), वाणिज्य कर,
गाजियाबाद।

दिनांक 21.12.2021 को विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि करनिर्धारण अथवा पुनः करनिर्धारण के प्रकरण माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण लम्बित हैं। इनमें अनेक मामले पुराने हैं, जिनमें व्यापक राजस्व निहित होने की सम्भावना है। अतः उक्त स्थगन आदेशों को निरस्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं :-

1- सभी करनिर्धारण अधिकारी स्वयं के स्तर पर उपलब्ध ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित न्यायालय के आदेश की अद्यतन स्थिति ज्ञात करते हुये यदि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया जा चुका हो तो तदनुसार तत्काल वाद निस्तारित करने की कार्यवाही करेंगे। अन्य ऐसे मामले, जिनमें स्थगन आदेश अभी भी प्रभावी हो, को निरस्त कराने हेतु उच्च न्यायालय कार्य/सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करेंगे। करनिर्धारण अधिकारी उक्त समस्त अनिस्तारित वादों की सूची तथा सूची के अतिरिक्त अन्य कोई वाद शेष न होने का प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2022 तक संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर को उपलब्ध करायेगें। ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर उक्त सूची एवं प्रमाण पत्र की अपने स्तर पर जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त समेकित सूची एवं अपने स्तर से जारी प्रमाण पत्र एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर को दिनांक 17.01.2022 तक उपलब्ध करायेगें। एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर भी उक्त की अपने स्तर पर जाँच कर समेकित सूची तथा उपरोक्तानुसार स्वयं के स्तर से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2022 तक वाणिज्य कर, मुख्यालय के वाद अनुभाग तथा संग्रह अनुभाग को उपलब्ध करायेगें।

2- एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर उक्त सूची की प्रति क्षेत्राधिकार के अनुरूप एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, प्रयागराज/एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (उ0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, लखनऊ तथा ज्वाइन्ट कमिशनर (सर्वो0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, गाजियाबाद को भी तत्काल उपलब्ध करायेगें तथा उनका सहयोग लेकर सभी संबंधित मामलों में त्वरित सुनवाई के अनुरोध हेतु प्रभावी कार्यवाही करायेगें। सभी करनिर्धारण अधिकारी एवं संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभियान अवधि में उक्त समस्त मामलों में शीघ्रता से वांछित कार्यवाही करायी जाये।

.....2

3- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, प्रयागराज, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (उ0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, लखनऊ तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद का यह दायित्व होगा कि उक्त सूची के आधार पर यथावश्यक अर्ली फिक्सेशन आवेदन अथवा यथावश्यक आवेदन कर उक्त स्थगन आदेशों को निरस्त कराने हेतु पूर्ण प्रयास करेंगे। सूची से मिलान कर यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि किसी मामले में न्यायालय द्वारा कोई अग्रिम निर्णय/अंतिम निर्णय दे दिया गया हो तो उससे तत्काल संबंधित एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर तथा करनिर्धारण अधिकारी अवगत होते हुये कार्यवाही पूर्ण करें।

उक्त समस्त कार्यवाही अभियान चलाकर दिनांक 28.01.2022 तक पूर्ण कर ली जाये तथा अभियान अवधि में कृत कार्यवाही का विवरण एवं प्राप्त परिणाम जोन के एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर तथा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, प्रयागराज, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (उ0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, लखनऊ एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 04.02.2022 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय प्रेषित किया जाये।



(मिनिस्ती एस)

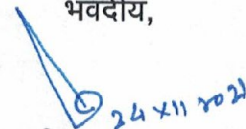
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि-1/ ज्वाइन्ट कमिश्नर, आई0टी0 अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु उक्त को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर, संग्रह अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूची प्राप्त होने पर समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भवदीय,



(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।